गोपिति

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

## पीठासीन अधिकारीः—राजेश सुवालका, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—15 / 2022 (2022 / 164) प्रार्थना पत्र

**अनवान**

1—नाथुलाल आत्मज रंगलाल चोरड़िया निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

**प्रार्थी**

**बनाम**

1—खेमराज आत्मज छीतर खाती निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—जमनालाल आत्मज देवा खाती निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—तुलछी पुत्री छीतर खाती निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—भोजा आत्मज देवा खाती निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—मोवनी पत्नि छीतर खाती निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—शंकर आत्मज प्यारा खाती निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—हीरा आत्मज कालु खाती निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

**विपक्षीगण**

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

प्रार्थी अधिवक्ता

1. अमरसिंह चारण —

दिनांक—08.02.2023

## निर्णय

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजियात ग्राम सगरेव पटवार हल्का सगरेव तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में खाता संख्या 293 में अंकित आ.सं. 1801 रकबा 0.33 हैक्ट भूमि स्थित हैं। प्रमाण में नकल जमाबंदी संवत 2076 से 2079 व नक्शाट्रेस प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। प्रार्थनापत्र की कलम संख्या एक में अंकित प्रार्थी की कृषि आराजियात संख्या 1801 रकबा 0.33 हैक्ट में आवागमन का एक मात्र विद्यमान रास्ता सगरेव से मोखपुरा जाने वाली सड़क से विपक्षी संख्या आठ की ग्राम सगरेव प0ह0 सगरेव की सरकारी बिलानाम आराजी संख्या 1809 के मध्य से होकर विपक्षी संख्या 1 लगायत 7 की आ.स. 1808 में से होकर प्रार्थी की खातेदारी कृषि आराजी संख्या 1801 में जाने का स्थित 30 फिट की चोडाई होकर वर्षो पुराना रास्ता स्थित है। जिससे प्रार्थी अपने खेतों में आवागमन कर अपने खेतों में फसल काश्त कर फसल लाभ ले रहा है। तथा पूर्व में खातेदार भी वर्षों से इसी रास्ते से आवागमन कर अपने खेतों में फसल काश्त कर फसल लाभ ले रहे थे तथा इसी रास्ते से राज बैल, गाड़ी ट्रेक्टर आदि लेकर जाते थे तथा खाद आदि डालते आ रहे थे। प्रार्थी की उक्त कृषि आराजियात में आवागमन का उक्त रास्ते के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं है। प्रार्थी की कृषि आराजियात में आवागमन का उक्त रास्ता अत्यन्त आवश्यकता का रास्ता है। प्रार्थी के विद्यमान कदीमी रास्ते को राजस्व नक्शे में सुविधा की दृष्टि से स्याही से दर्शाया गया है। प्रार्थी की उक्त कृषि आराजियात में आवगमन का रास्ता मौके पर ग्राम सगरेव पटवार हल्का सगरेव की सरकार विलानाम आराजी संख्या 1809 व विपक्षी संख्या 1 लागायत 7 की खातेदारी आराजी संख्या 1808 में खुला हुआ है किन्तु विपक्षीगण 1 लगायत 7 अपनी खातेदारी व सरकारी बिलानाम आये दिन इस रास्ते को बन्द करने का उपक्रम करते रहते है सरकारी बिलानाम पर रास्ते को बन्द कर अतिक्रमण करने को आमदा है जिससे प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन के ग्राम सगरेव पटवार हल्का सगरेव की सरकारी बिलानाम आराजी संख्या 1800 व खातेदारी 1808 में स्थित 30 फिट चौड़े रास्ते को स्थाई रूप से राजस्व रेकार्ड में विलानाम रास्ता किस्म के रुप में दर्ज कराया जाना आवश्यक हो गया है । अतः प्रार्थी की सादर प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की ग्राम सगरेव की आराजी संख्या 1801 रकबा 0.33 है0 में आवागमन हेतु वर्षो बिलानाम आराजी संख्या 1809 के मध्य

से होते हुए विपक्षी संख्या 1 लगायत 7 की आराजी संख्या 1808 में स्थित 30 फीट चौड़े रास्ते को बिलानाम सरकारी गै.मु. रास्ता दर्ज करने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान किया जाकर रास्ते के रूप में काम आने वाली भूमि की डीसलसी दर से राशि विपक्षी को दिलाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी की नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 7 बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं विपक्षी संख्या 8 तहसीलदार रायपुर द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई जिसमें तहसीलदार रायपुर द्वारा अंकन किया कि उक्त अंकित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। मौके पर उक्त रास्ते को पत्थर डाल कर बन्द कर रखा है। उक्त विवादित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। वर्तमान में उक्त आराजी पर आवागमन बन्द है। डीएलसी दर से राशि निम्नानुसार है।

| क्र.स. | आराजी संख्या | खातेदार | कुल रकबा | रास्ते हेतु चाहा गया रकबा | राशि | दुगुनी राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1809 | सरकारी बिलानाम | 0.38 है0 | 0.0200 है0 | 9497 | 18994 |
| 2 | 1808 | विपक्षी संख्या 1 से 7 | 0.23 है0 | 0.0150 है0 | 7122 | 14245 |

मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। सलग्न नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित रास्ते को लाल स्याही से दर्शाया गया है।

मैंने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट तथा प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थी की खातेदारी में आवागमन करने हेतु प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प नही है प्रार्थी वर्तमान में इसी रास्ते से आवागमन कर रहे है। प्रार्थी रास्ते के उपयोग हेतु ली जा रही भूमि की नियमानुसार भूमि कीमत देने को भी तैयार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए की मूल मंशा यही है जहां प्रार्थी कई वर्षो से आवागमन कर रहे है और अन्य कोई विकल्प नही हो तो ऐसे रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करा सकते है। प्रार्थी की खातेदारी काफी पुरानी है जिससे वर्षो से इसी जगह से होकर आवागमन करने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विपक्षी की ओर से भी कोई आपत्ति नही की। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

## आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सगरेव तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 1801 रकबा 0.33 है0 में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 1809 रकबा 0.38 है0 मे से रकबा 0.02 है0 भूमि (यानि 200 वर्गमीटर भूमि) जिसकी डीएलसी दर से 9497/–रूपये राशि बनती है जिसका दुगुना करने पर 18994/–रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका भूगतान राजकोष में जमा कराने एवं आराजी संख्या 1808 रकबा 0.23 है0 मे से 0.0150 है0 भूमि जिसकी डीसलसी दर अनुसार राशि 7122/–रूपये बनती है जिसका दुगुना करने पर 14245/–रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका भूगतान विपक्षी संख्या 1 लगायत 7 को करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

## पीठासीन अधिकारीः—राजेश सुवालका, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—15 / 2022 (2022 / 164) प्रार्थना पत्र

**अनवान**

1—नाथुलाल आत्मज रंगलाल चोरड़िया निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

**प्रार्थी**

**बनाम**

1—खेमराज आत्मज छीतर खाती निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—जमनालाल आत्मज देवा खाती निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—तुलछी पुत्री छीतर खाती निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—भोजा आत्मज देवा खाती निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—मोवनी पत्नि छीतर खाती निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—शंकर आत्मज प्यारा खाती निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—हीरा आत्मज कालु खाती निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

**विपक्षीगण**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट**

**प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्**

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सगरेव तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 1801 रकबा 0.33 है0 में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 1809 रकबा 0.38 है0 मे से रकबा 0.02 है0 भूमि (यानि 200 वर्गमीटर भूमि) जिसकी डीएलसी दर से 9497 / —रूपये राशि बनती है जिसका दुगुना करने पर 18994 / —रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका भूगतान राजकोष में जमा कराने एवं आराजी संख्या 1808 रकबा 0.23 है0 मे से 0.0150 है0 भूमि जिसकी डीसलसी दर अनुसार राशि 7122 / —रूपये बनती है जिसका दुगुना करने पर 14245 / —रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका भूगतान विपक्षी संख्या 1 लगायत 7 को करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 08.02.2023 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(राजेश सुवालका)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाड़ा)